



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234627
CG-DL-E-29032022-234627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

No. 165]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/ CHAITRA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/161/15/डीडी/09/16/डीसी/752/18.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. घंटा वेंकटेश्वरा राव (सदस्यता सं. 216153), 503, बी-ब्लॉक, राघव रत्ना टावर्स, मेडविन अस्पताल के समीप, हैदराबाद 500 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (6) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. घंटा वेंकटेश्वरा राव (सदस्यता सं. 216153) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. घंटा

वेंकटेश्वरा राव (सदस्यता सं. 216153) का नाम, 29 मार्च, 2022 से 2 (दो) वर्ष और 01 (एक) मास की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डा. जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./719/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/161/15/DD/09/16/DC/752/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ghanta Venkateswara Rao (M.No. 216153), 503, B-Block, Raghava Ratna Towers, Near Medwin Hospitals, HYDERABAD 500 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6) & (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Ghanta Venkateswara Rao (M.No. 216153)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for further period of 1(one) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ghanta Venkateswara Rao (M.No. 216153)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 2(two) years and 01(one) month with effect from 29th March, 2022.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./719/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234625
CG-DL-E-29032022-234625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/ CHAITRA 8, 1944

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/162/15/डीडी/10/16/डीसी/753/18.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. लक्ष्मी पूर्ण चंद्र राव चेला (सदस्यता सं. 221392), 25/7 एलआईजी, केपीएचबी, चरण IV, कुकटपल्ली, हैदराबाद 500 072 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 3 के खंड (2) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. लक्ष्मी पूर्ण चंद्र राव चेला (सदस्यता सं. 221392) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम,

1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. लक्ष्मी पूर्ण चंद्र राव चेला (सदस्यता सं. 221392) का नाम, 29 मार्च, 2022 से 2 (दो) वर्ष और 01 (एक) मास की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./720/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/162/15/DD/10/16/DC/753/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Lakshmi Purna Chandra Rao Chella(M.No. 221392), 25/7 LIG, KPHB, Phase IV, Kukatpally, HYDERABAD 500 072**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part III of First Schedule and Clauses (7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Lakshmi Purna Chandra Rao Chella(M.No. 221392)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for further period of 1(one) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Lakshmi Purna Chandra Rao Chella(M.No. 221392)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 02(two) years and 01(one) month with effect from 29th March, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./720/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234626
CG-DL-E-29032022-234626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

No. 164]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/ CHAITRA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-5/2014-डीडी/31/2014-डीसी/598/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. किरीत कुमार रमनलाल शाह (सदस्यता संख्या 034612), बी-4, वर्धमानकृपा रो हाउस, सतधार क्रॉस रोड के सामने, अहमदाबाद-380 061 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV के खंड (2) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. किरीत कुमार रमनलाल शाह (सदस्यता संख्या 034612) के नाम को 18 (अठारह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सीए. किरीत कुमार रमनलाल शाह (सदस्यता संख्या 034612) का नाम, 10 मई, 2019 से 18 (अठारह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलिय प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अपीलिय प्राधिकरण ने अपील सं.

09/आईसीएआई/2019 में अपने तारीख 7 जून, 2019 के आदेश द्वारा अपेक्षित आदेश को अपास्त कर दिया और मामला वापस अनुशासन समिति के पास भेज दिया। तदनुसार, अपीलिय प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी के नाम को वापस सम्मिलित कर दिया गया। अपीलिय प्राधिकरण के आदेश को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन समिति ने मामले पर पुनः विचार किया तथा प्रत्यर्थी को पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV के खंड (2) तथा दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थात्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया तथा अपने 20 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा यह आदेश किया कि प्रत्यर्थी के नाम को 18 (अठारह) मास की अवधि के लिए हटा दिया जाए। उसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. किरित कुमार रमनलाल शाह (सदस्यता संख्या 034612) का नाम, 29 मार्च, 2022 से 18 (अठारह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./718/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR-5/2014-DD/31/2014-DC/598/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Kirit Kumar Ramanlal Shah (Membership No. 034612), B-4, Vardhmankrupa Row House, Opposite Satadhar Cross Road, AHMEDABAD- 380 061, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of First Schedule and Clauses (7) and (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Kirit Kumar Ramanlal Shah (Membership No. 034612) from the Register of Members for a period of 18(eighteen) months. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the name of said CA. Kirit Kumar Ramanlal Shah (Membership No. 034612) was removed from the Register of Members for a period of 18(eighteen) months with effect from 10th May, 2019. Subsequently, the Respondent approached the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority in appeal no. 09/ICAI/2019 vide its order dated 7th June, 2019 had set aside the Impugned order and remanded back the matter to the Disciplinary Committee. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, name of the Respondent was restored. In view of the order of the Appellate Authority, the Disciplinary Committee reconsidered the matter and held the Respondent Guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of First Schedule and Clauses (7) and (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and vide its Order dated 20th August, 2019 ordered that the name of the Respondent be removed for a period of 18(Eighteen) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Kirit Kumar Ramanlal Shah (Membership No. 034612), shall stand removed from the Register of Members for a period of 18(eighteen) months with effect from 29th March, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./718/2021-22]